Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

राजेन्द्रनाथ —बनाम— स्टेट

किस्म मुकदमा :— 75 एलआरए

न0 15/2017 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19/6/2018	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप जालवाली पर पेश हुयी। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी राजेन्द्रनाथ पुत्र श्री रविन्द्रनाथ जाति नाथ निवासी रानी बाजार बीकानेर ने जरिये मुखत्यारआम लक्ष्मणराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति नाई निवासी इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन सहायक भू—प्रबंध अधिकारी, बीकानेर की आज्ञा दिनांकः 04.04.1991 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांकः 28.11.2017 को प्रस्तुत की गयी, जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 23 अपीलार्थी के विरूद्ध तय करते हुए भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश दिया गया। 2— अपील प्रकरण से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी को खेत खसरा नंबर साबिका 279 तादादी 23.15 बीघा ग्राम जालवाली भूमि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने दिनांकः 21.02.1975 को आवंटित की थी तथा उसी वक्त कब्जा भूमि अपीलार्थी को पटवारी हल्का ने संभलवा दिया था। तभी से इस पर काबिज चला रहा है। आवंटन की किश्त भी यथा समय जमा खजाना राज करवादी गयी थी। परिणामस्वरूप उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर ने अपने आदेश संख्या 3 द्वारा आवंटन का अमलदरामद अपीलार्थी के पक्ष में अभिलेखों में करने हेतु जारी किया। इसी आदेश के आधार पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 23 खोला जाकर वास्ते तस्दीक	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सहायक भू– प्रबंध अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने नामान्तरकरण यह कहते हुवे निरस्त कर दिया की मूल आवंटन आदेश पेश नहीं हुआ है। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुव अभिकथन किया कि आदेश अधीनस्त न्यायालय, गलत, इमप्रोपर, खिलाफ मिसल रिकार्ड व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के होने से काबिले इखराज है। अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को इन्तकाल तस्दीक करते समय किसी की प्रकार की सुनवाई एवं सबूत पेश करते का अवसर नहीं दिया गया तथा आदेश उसके पीठ पीछे इक तरफा तौर दिये जाने से इसकी जानकारी उन्हें पूर्व में नहीं हो सकी। प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में लगे समय को कंडोन किया जावे तथा अपील समय भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3– इस अपील के प्रत्यर्थी राज्य को सम्मन भिजवाया गया। राज्य की ओर से पेरोकरराज उपस्थित आये।

उप खण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर

4– बहस उभयपक्ष सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

5– अपीलार्थी की ओर से यह कहा गया है कि आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, बीकानेर मूल रूप से ही गलत एवं मिसल रिकार्ड के विपरीत होने से अवैध है तथा निरस्तनीय भी हो जाता है, क्योंकि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, बीकानेर को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश संख्या 3 जिसकी रूह से पत्र संख्या 1336 दिनांक: 14.09.1988 के आधार पर इन्तकाल संख्या 23 अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिये था। उन्हें मूल आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर इन्तकाल निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था और ना ही अपीलार्थी के आवंटन आदेश के होते हुवे उसकी

Scanned by CamScanner

15/2017

आवंटित शुदा भूमि को आराजीराज दर्ज करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को हासिल ही था। यदि मूल आवंटन आदेश के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की शंका थी, तो इसकी पुष्टि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर से करवायी जा सकती थी लेकिन नामान्तरकरण इस आधार पर खारिज किया जाना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। इस बहस के आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बीकानेर को अपीलार्थी के पक्ष में उसके आवंटन शुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का निर्देश दिये जाने का निवेदन किया।

6— इस बहस के विरूद्ध में प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित आये पेरोकारराज ने अपील के मियाद पर बहस करते हुवे कथन किया कि अपील 27 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गयी है, जो समय सीमा से बाधित है तथा देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थी की ओर से नहीं बताया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जानी चाहिये। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से अपील के गुणावगुण पर अस्वीकार करने के संबंध में कोई सारयुक्त बहस मेरे समक्ष नहीं की और ना ही अपीलार्थी की ओर से की गयी बहस के खंडन में कोई तथ्य हमारे समक्ष रखा गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7— सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपना निष्कर्ष देना उचित समझते हैं। प्रस्तुत अपील सहायक भू—पबंध अधिकारी, बीकानेर की आज्ञा दिनांकः 04.04.1991 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांकः 28.11.2017 को प्रस्तुत की गयी, जो 27 वर्ष देरी का है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से दफा 5 मियाद कानून का प्रार्थना—पत्र व शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यंह तथ्य अंकित किये कि प्रार्थी ने दिनांक 18.03.2013 को अपनी आवंटित शुदा भूमि का अमल राजस्व अभिलेखों में करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर चली कार्यवाही में बाद जांच प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र दिनांकः

Scanned by CamScanner

22.10.2017 को जैर अपीलकृत आदेश खारिज कर दिया। तब सर्वप्रथम इसकी जानकारी हुई। जानकारी के तिथि के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा देरी को क्षम्य किया जावे। उन्होंने आगे अपनी बहस में यह भी कहा कि दफा 5 मियाद कानून के प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रत्यर्थी की ओर से नहीं दिया गया है तथा ना ही कोई प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में दर्ज तथ्यों का खंडन ही किया है। आपकी यह भी बहस रही है कि माननीय राजस्व मंडल, अजमेर के अनेकानेक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी है कि जो अपील के गुणावगुण का महत्वपूर्ण बिन्दु विवादित है, वहां अपील को मियाद बिन्दु पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्णय गुणागुण पर ही किया जाना न्यायोचित होता है। प्रार्थी अपीलार्थी का इस दृष्टि से केस देखा जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि अपीलार्थी की उसे आवंटित शुदा भूमि का अमल पिछले 33 वर्षों से प्रयासरत है तथा इन्तकाल संख्या 23 के जरिये उसके अमल दरामद की प्रविष्टि को क्षेत्राधिकार विहिन रूप से किये गये विवेचन के आधार पर यह निर्णय हो चुका है। अतः इन सबके रहते प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अपीलार्थी बाबत् दफा 5 मियाद कानून अधिनियम करने डिले कंडोन स्वीकार किया जाता है तथा अपील सर्वप्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर मियाद में प्रस्तुत होनी घोषित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8– अपील के गुणावगुण पर हमारा यह निर्णय है कि पत्रावली पर यह स्वीकृत स्थिति हो जाती है कि आदेश इन्तकाल संख्या 23 दिनांकः 04.04.1991 क्षेत्राधिकार विहिन होने से पोषणीय नहीं हैं तथा ना ही कायम रखने योग्य है। अपील अपीलार्थी में बल है, जो स्वीकृत योग्य पाते है।

9– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बीकानेर को प्रार्थी की भूमि का अमल दरामद राजस्व

Scanned by CamScanner

15/2017

रिकार्ड में करने हेतु नियमानुसार विधि के प्रावधानों को देखते हुवे कार्यवाही करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

10— आदेश दिनांक 19/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner